न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 329/2025

श्री रामप्रसाद पुत्र श्री गुगनसिंह, निवासी पचेरी कलां, तहसील बुहाना, मो0न0 9649685879

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना।

——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 01.09.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 11.08.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 329/2025 पर दिनांक 11.08.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/3773–74 दिनांक 11.08.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना ने पत्रांक आरटीआई/अपील/2025/496 दिनांक 28.08.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 दिनांक 04.05.2025 इस कार्यालय को दिनांक 09.05.2025 को प्राप्त हुआ था। उक्त आवेदन पत्र को इस कार्यालय द्वारा खारीज किया जाकर आवेदक को कार्यालय के पत्रांक पीए/आरटीआई–13/2024/421 दिनांक 28.05.2024 के द्वारा सूचित किया गया था। तत्पश्चात् उक्त आवेदन की अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील संख्या 288/2024 बउनवानी श्री रामप्रसाद पुत्र श्री गुगनसिंह, जाति राजपूत, निवासी पचेरी कलां, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं राज0 बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना संस्थित किया गया। प्रथम अपील के विरूद्व अपीलार्थी ने द्वितीय अपील माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर के यहां संस्थित की गई जिसका भी माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर द्वारा दिनांक 28.05.2025 को निर्णय किया जा चुका है। आवेदक ने उस आवेदन पत्र दिनांक 04.05.2024 जो इस कार्यालय से दिनांक 28.05.2024 को खारीज हुआ है की प्रथम अपील अब आप श्रीमान्जी के यहां संस्थित की है जिसकी प्रथम एवं द्वितीय अपील कार्यवाही पूर्व मे पूर्ण हो चुकी है। आवेदक पूर्व मे खारीज आवेदन पत्र दिनांक 04.05.2024 की पुनः आप श्रीमान्जी के समक्ष अपील संस्थित करने का अधिकारी नही है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना द्वारा पत्रांक आरटीआई/अपील/2025/496 दिनांक 28.08.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 दिनांक 04.05.2025 इस कार्यालय को दिनांक 09.05.2025 को प्राप्त हुआ था। उक्त आवेदन पत्र को उनके कार्यालय द्वारा खारीज किया जाकर आवेदक को कार्यालय के पत्रांक पीए/आरटीआई–13/2024/421 दिनांक 28.05.2024 के द्वारा सूचित किया गया था। तत्पश्चात् उक्त आवेदन की अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील संख्या 288/2024 बउनवानी श्री रामप्रसाद पुत्र श्री गुगनसिंह, जाति राजपूत, निवासी पचेरी कलां, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं राज0

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना संस्थित किया गया। प्रथम अपील के विरूद्व अपीलार्थी ने द्वितीय अपील माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर के यहां संस्थित की गई जिसका भी माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर द्वारा दिनांक 28.05.2025 को निर्णय किया जा चुका है। आवेदक ने उस आवेदन पत्र दिनांक 04.05.2024 जो उनके कार्यालय से दिनांक 28.05.2024 को खारीज हुआ है की प्रथम अपील अब आप श्रीमान्जी के यहां संस्थित की है जिसकी प्रथम एवं द्वितीय अपील कार्यवाही पूर्व मे पूर्ण हो चुकी है। आवेदक पूर्व मे खारीज आवेदन पत्र दिनांक 04.05.2024 की पुनः आप श्रीमान्जी के समक्ष अपील संस्थित करने का अधिकारी नही है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा इसी संबंध मे पूर्व मे प्रस्तुत अपील निर्णित हो चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 01.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं